

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ. सौम्या झा, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

39 / 2024

23.02.2024

नमोनारायण पुत्र प्रभूलाल जाति मीना निवासी अरनियामाल तहसील व जिला टोंक राज०
-अपीलाण्ट

बनाम
तहसीलदार टोंक जिला-टोंक

-रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
तहसीलदार टोंक दिनांक 16.01.2024 मिसल नम्बर 963 / 2024

उपस्थिति : (1) श्री भागचन्द बैरवा, अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री सावंतराम मीना, नायब तहसीलदार राजकीय परोकार


निर्णय

दिनांक 14.08.2024

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 16.01.2024 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1850/1 रकबा 0.2656 है० किस्म बजड-1, खसरा नम्बर 1851 रकबा 0.0430 है० किस्म बजड-1 व खसरा नम्बर 1849 रकबा 0.2529 है० किस्म गै.मु.नाडी वाके ग्राम अरनियामाल तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर सरसो की फसल काशत कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 235/रु. पेनल्टी कायम कर 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं परोकार सरकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई और न मौके का निरीक्षण किया गया। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरुद्ध गलत रिपोर्ट पेश की है। अपीलांट को पूर्व में बेदखल करने बाबत पटवारी हल्का ने कोई विश्वसनीय सबूत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये हैं। अधीनस्थ ने अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट ने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।


जिला कलेक्टर
टोंक



अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1850/1 रकबा 0.2656 है0 किस्म बजड-1, खसरा नम्बर 1851 रकबा 0.0430 है0 किस्म बजड-1 व खसरा नम्बर 1849 रकबा 0.2529 है0 किस्म गै.मु.नाडी वाके ग्राम अरनियामा तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर सरसो की फसल काशत कर अतिक्रमण करने पर तहसीलदार टोंक द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है, परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय परोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की स्वयं की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1850/1 रकबा 0.2656 है0 किस्म बजड-1, खसरा नम्बर 1851 रकबा 0.0430 है0 किस्म बजड-1 व खसरा नम्बर 1849 रकबा 0.2529 है0 किस्म गै.मु.नाडी वाके ग्राम अरनियामाल तहसील टोंक पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर सरसो की फसल काशत कर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1121/2023 निर्णय दिनांक 16.02.2023 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट्स ने न्यायालय हाजा मे अपील मीमो के साथ ही शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त आराजी पर से कब्जा हटा लिया है, मैं उक्त भूमि पर भविष्य मे कब्जा नहीं करूंगा ना ही उक्त भूमि के बारे मे कोई क्लेम करूंगा। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा मे कब्जा छोड़ने बाबत शपथ पत्र पेश करने के उपरान्त तहसीलदार टोंक से कब्जे संबंधी रिपोर्ट तलब किये जाने पर तहसीलदार टोंक ने उनके पत्र क्रमांक 2276 दिनांक 10.07.2024 से अगवत कराया है कि आराजी खसरा नम्बर 1850/1 रकबा 0.2656 है0 किस्म बजड-1, खसरा नम्बर 1851/1 रकबा 0.0430 है0 किस्म बजड-1 व खसरा नम्बर 1849/1 रकबा 0.2529 है0 किस्म गै.मु.नाडी वाके ग्राम अरनियामाल मे अपीलांट का कब्जा नहीं है और मौके पर उक्त भूमि पडत पडी हुई है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा तहसीलदार टोंक प्रकरण संख्या 963/2024 दिनांक 16.01.2024 मे अपीलांट अतिक्रमी के विरुद्ध 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा तक निर्णय को अपास्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. शोम्या झा)
जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक